

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 85ए/16

संस्थापन दिनांक:-08/12/16

फाईलिंग नं. 400363/2016

1. खुशीलाल पिता मारोती आथनकर, उम्र 56 वर्ष
निवासी वार्ड क्र. 22 सुभाष नगर पाथाखेड़ा,
तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. मुन्नालाल पिता मारोती आथनकर, उम्र 53 वर्ष
निवासी म.नं. 63, गौतम बुद्ध नगर सारणी,
तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. चरणलाल पिता मारोती आथनकर, उम्र 54 वर्ष
निवासी शिव मंदिर कॉलोनी पाढर,
तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
4. उर्मिलाबाई पिता मारोती आथनकर, उम्र 40 वर्ष
निवासी भीमनगर आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. प्रमिलाबाई पिता मारोती आथनकर, उम्र 36 वर्ष
निवासी जुनापानी, तहसील मुलताई,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादीगण

वि रू द्ध

1. सार्वसाधारण
2. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 27.09.2017 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा मारोती वल्द गोच्या की सिविल डेथ होने की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है।

2 दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण मारोती पिता गोच्या की संतान है तथा ग्राम तिरमउ तहसील आमला के निवासी हैं। वादीगण की मां गयाबाई की मृत्यु लगभग 18 वर्ष पूर्व ग्राम तिरमउ में हो चुकी है तथा वादीगण के पिता लगभग 15 वर्ष पूर्व ग्राम तिरमउ से वादीगण को बताये बिना उनके पैतृक घर, चल अचल संपत्ति को छोड़कर कहीं चले गये। वादीगण को यह

जानकारी लगी थी कि उनके पिता 6 दिसम्बर 2002 को किसी रैली में मुम्बई गये थे परंतु उस दिनांक से आज तक अपने घर नहीं आये हैं। वादीगण के द्वारा वर्ष 2002 से दावा दिनांक तक अपने पिता मारोती की बहुत खोजबीन की गयी तथा थाना आमला में दिनांक 17.12.2002 को गुमशुदा की रिपोर्ट भी लेख करायी परंतु इसके बाद भी आज दिनांक तक उनका पता नहीं चल पाया। वर्ष 2002 में वादीगण के पिता की उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वर्तमान में यदि उनके पिता जीवित होते तो उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष होती। संभवतः वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि वे जीवित होते तो 15 वर्षों से अपने घर वापस आ जाते। वादीगण के द्वारा पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी उनके पिता का पता नहीं चला, तब पुनः से पुलिस थाना आमला में दिनांक 06.06.2016 को अपने पिता मारोती की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उक्त दिनांक से ही वाद कारण जारी है। मारोती पिता गोच्या की सिविल डेथ की घोषणा हेतु समयावधि में वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से दावा प्रस्तुत किया गया है।

3 प्रकरण में आज जनता/प्रतिवादी पर सूचना निर्वहन संबंधित आवश्यक कार्यवाहियां किये जाने उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2017 को प्रतिवादी/आम जनता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

4 प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या मारोती पिता गोच्या को पिछले 7 वर्षों से वादीगण ने अथवा उनके रिश्तेदारों व अन्य किसी ने मारोती पिता गोच्या के जीवित रहने के बारे में कुछ नहीं सुना है ?

2. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी खुशीलाल (वा.सा.-1) ने अपने वाद पत्र तथा मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में यह प्रकट किया है कि उसके पिता 15 वर्ष पूर्व ग्राम तिरमउ से किसी को बताये बिना अपनी चल, अचल संपत्ति छोड़कर चले गये थे। वादीगण को बाद में यह जानकारी लगी थी कि उनके पिता 06 दिसम्बर 2002 को किसी रैली में मुम्बई गये थे परंतु उक्त दिनांक से आज तक अपने गांव तिरमउ वापस नहीं आये। वादीगण के द्वारा दिनांक 17.12.2002 को अपने पिता मारोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख करायी गयी। तब से आज दिनांक तक उनके पिता का पता नहीं चला है। वादीगण ने पुनः से दिनांक 06.06.2016 को गुमशुदा रिपोर्ट थाना आमला में लेख करायी तब भी उनका पता नहीं चला।

6 अननंतराम (वा.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में बताया है कि वह ग्राम तिरमउ का स्थायी निवासी है। लगभग 15-16 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता मारोती ग्राम तिरमउ से वादीगण को बिना बताये अपनी चल अचल संपत्ति छोड़कर चले गये जिनकी गुमशुदा रिपोर्ट भी वादीगण ने थाना आमला में लिखायी परंतु पर्याप्त प्रयास के बाद भी मारोती का पता नहीं चला। यदि वे जीवित होते तो ग्राम तिरमउ वापस जरूर आते।

7 वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में ग्राम पंचायत तिरमउ का पंचनामा (प्रदर्श पी-2) दिनांक 22.07.2016 प्रस्तुत किया है तथा थाना प्रभारी आमला की ओर प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.06.2016 (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत किया है। प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वादी क. 02 मुन्नालाल के द्वारा थाना आमला में अपने पिता मारोती की गुमशुदा का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया परंतु उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि थाना आमला की ओर से उक्त आवेदन पर यह टीप लेख की गयी है कि वर्ष 2002 के गुम इंसान के रजिस्टर में दिनांक 17.12.2002 में कोई भी गुम इंसान दर्ज नहीं है। वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत तिरमउ का प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-2) प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त पंचनामा में जानकारी उपस्थित ग्रामीणजन एवं मारोती के पुत्र मुन्नालाल के द्वारा बतायी गयी जानकारी के अनुसार पंचनामा तैयार किया गया जिसमें वर्ष 2002 से मारोती का ग्राम तिरमउ से चला जाना लेख है परंतु वादी के द्वारा उक्त दस्तावेज को किसी भी गवाह से प्रमाणित नहीं कराया गया है। दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से भी यह प्रकट हो रहा है कि दिनांक 17.12.2002 को वादीगण के पिता मारोती की गुमशुदगी रिपोर्ट थाना आमला में दर्ज नहीं है। वादीगण ने यह भी अभिवचन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 06.06.2016 को पुनः से थाना आमला में गुमशुदगी रिपोर्ट लेख करायी गयी परंतु ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार जब प्रश्न यह हो कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन लोगों ने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक रूप से सुना होता, तब यह प्रमाणित करने का भार कि वह व्यक्ति जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है जो इस तथ्य को प्रतिज्ञात करता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामरती कौर विरुद्ध द्रारका प्रसाद ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1134 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तब विधि की यह उपधारणा निर्मित होगी की उक्त व्यक्ति मर गया है।

9 उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वादीगण के पिता मारोती कब से लापता हुए हैं। वादीगण की ओर से जो दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत किया गया है उसमें थाना आमला की यह टीप लेख है कि दिनांक 17.12.2002 को गुम इंसान के रजिस्टर में कोई भी गुम इंसान दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण के पिता मारोती दिनांक 17.12.2002 से लापता हैं और उक्त दिनांक से उनके बारे में किसी के द्वारा कुछ सुना नहीं गया और न ही कोई जानकारी प्राप्त हुई।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 का निराकरण

10 उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि मारोती पिता गोच्या के बारे में पिछले सात वर्षों से वादीगण ने अथवा उनके रिश्तेदारों ने या किसी अन्य ने जीवित रहने के बारे में कुछ नहीं सुना। फलतः दावा अस्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :—

1. वादीगण की ओर से मारोती पिता गोच्या, निवासी ग्राम तिरमउ तहसील आमला जिला बैतूल की सिविल डेथ हेतु प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है।
2. प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण वाद का व्यय स्वयं वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल